रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/2002 REGISTERED No. DL—33001/2002

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 17, 2002 (श्रावण 26, 1924)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 17, 2002 (SRAVANA 26, 1924)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	699
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	667
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	11
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1201
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1427
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	1705
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3769
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	213
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

* आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1—191 GI/2002

CONTENTS

PAGE

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 696

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 667

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 11

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 1201

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations .. *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *

PAGE

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .. *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 1427

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 1705

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 3769

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 21

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .. *

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन)

नई दिल्ली–110001, दिनांक 29 जुलाई 2002

स० एम-13011/2/2001 पी०सी०एन०—भारत सरकार एतद्द्वारा दिनांक 29-7-2002 से मूल्य एवं जीवन निर्वाह लागत सांख्यिकी विषयक तकनीकी सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों से करती है :—

1.	महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 ।	अध्यक्ष
2.	सलाहकार, श्रम रोजगार तथा जनशक्ति, योजना आयोग, योजना भवन नई दिल्ली–110001 ।	सदस्य
3.	अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली–110001 ।	सदस्य
4.	सलाहकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001 ।	सदस्य
5.	आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन नई दिल्ली-110011 ।	सदस्य
6.	आर्थिक सलाहकार, उपभोक्ता मामले विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ।	सदस्य
7	महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 ।	सदस्य
8.	अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, रा०प्र०सर्वे०स०, पूर्वी खण्ड-6, आर० के० पुरम, नई दिल्ली-110066 ।	सदस्य
9	उपमहानिदेशक, सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, 164, जीएलटी रोड, महालनोबिस भवन, कोलकाता-700035 ।	सदस्य
10	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, एस० सी० ओ० 28–31, सेक्टर-17 ए, चंडीगढ़-160071 ।	सदस्य
11	उपमहानिदेशक, प्रभारी पीसीएल एकक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, पूर्वी खण्ड-10, आर०के० पुरम, नई दिल्ली-110066 ।	सदस्य
12.	अध्यक्ष, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग, (कृषि तथा सहकारिता विभाग) कृषि मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली-110001 ।	सदस्य
13	प्रधान सलाहकार, भारतीय रिजर्व बैंक, सांख्यिकीय विश्लेषण एवं संगणक सेवा विभाग सी 8/9, बान्द्रा-कुर्ला काम्प्लेक्स; पो० बा० नं० 8128 बान्द्रा (ईस्ट), मुम्बई-400051 ।	सदस्य

14. निदेशक, सदस्य
अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय,
आंध्र प्रदेश सरकार,
खैरताबाद, पोस्ट बैग नं० 5
हैदराबाद-500004 ।

15. आर्थिक सलाहकार, सदस्य
पंजाब सरकार,
एससीओ, 35 एक्स 36, सेक्टर-17 ई
चण्डीगढ़-160017 ।

16. निदेशक, सदस्य
अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो
पश्चिम बंगाल सरकार,
नया सचिवालय भवन,
तृतीय तल, ब्लाक-बी,
1, किरोन शंकर राय रोड
कोलकाता-700001 ।

17. प्रो० अभिजीत सेन, सदस्य
अर्थशास्त्र के प्रोफेसर,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110067 ।

18. प्रो० के० सुन्दरम, सदस्य
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स,
दिल्ली-110017 ।

19. निदेशक, सचिव
(पीसीएल एकक)
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन,
पश्चिमी खण्ड-8
विंग-6
आर के० पुरम,
नई दिल्ली-110066 ।

2. राज्य सरकारों तथा अकादमिक क्षेत्र के प्रतिनिधि 29-7-2002 से दो वर्षों की अवधि के लिए समिति में कार्य करेंगे ।

3. पुनर्गठित समिति के कार्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघशासी प्रशासनों द्वारा पारिवारिक बजट पूछताछ के संचालन हेतु प्रस्तावों की जांच;

(ii) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तर सूचकांकों संबंधी समस्याओं को शामिल कर उपभोक्ता मूल्य तथा तुलनात्मक ऊंची लागत सूचकांकों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघ शासी प्रशासनों द्वारा तैयार की गई स्कीमों की जांच;

(iii) अवधारणाओं, परिभाषाओं, मूल्य संग्रहण की पद्धतियों तथा उपभोक्ता मूल्य एवं तुलनात्मक ऊंची लागत सूचकांकों के समेकन का मानकीकरण तथा सुधार करना;

(iv) अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय सूचकांकों संबंधी समस्याओं सहित, थोक, फुटकर, उत्पादकों तथा अन्य मूल्य सूचकांकों और उनसे संबंधित विशिष्ट समस्याओं हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संघशासी प्रशासनों द्वारा तैयार की गई स्कीमों की जांच करना;

(v) प्रत्येक प्रकार के सूचकांकों के लिए समुचित समभार की पद्धतियों सहित थोक, फुटकर उत्पादकों के तथा अन्य मूल्य सूचकांकों के समेकन और मूल्य संग्रहण की पद्धतियों, परिभाषाओं, अवधारणाओं का मानकीकरण तथा सुधार करना;

(vi) मूल्य सांख्यिकी के संग्रहण, समेकन तथा प्रसार की एक एकीकृत प्रणाली विकसित करने तथा इसे तर्कसंगत बनाने की दृष्टि से मूल्य संग्रहण हेतु संगठनात्मक व्यवस्थाओं तथा मशीनरी की समीक्षा करना ।

4. समिति को लिपिकीय सहायता केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी ।

5. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए सरकारी सदस्यों पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता संबंधी व्यय उनके संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों, जिससे संबंध रखते हों, द्वारा वहन किया जाएगा ।

6. उपरोक्त पैरा-I में क्रम संख्या 17 तथा 18 पर गैर-सरकारी सदस्यों को एस आर 190 (क) के अन्तर्गत राष्ट्रपति जी की मंजूरी दी जाती है जिसकी बराबरी यात्रा भत्ता के भुगतान के प्रयोजन हेतु भारत सरकार के उच्चतम ग्रेड-I अधिकारियों से की जाती है तथा उन्हें समितियों/आयोगों के नेमी/कम महत्व की समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० 19020/1/89-ई-IV, दिनांक 23 जून, 1986 में निहित गैर-सरकारी सदस्यों को देय दरों पर दैनिक भत्ता/सवारी भत्ता अनुमत्य होगा ।

7. उपरोक्त पैरा-I के क्रम संख्या 17 तथा 18 पर गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता के भुगतान के कारण होने वाला व्यय योजना स्कीम "राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अंकमाला का विकास, शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या हेतु अलग-अलग के अन्तर्गत बजट प्रावधान से वहन किया जाएगा ।

8. इसे बजट तथा वित्त अनुभाग की डायरी सं० 577, दिनांक 19-7-2002 के तहत वित्तीय सलाहकार (सांख्यिकी) की सहमति से जारी किया जाता है ।

एस० आर० राव
निदेशक

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 अगस्त 2002

सं० यू०-13019/1/97-सीएचडी-- इस मंत्रालय की दिनांक 22 सितम्बर, 2000 की अधिसूचना सं० यू०-13019/1/97-सीएचडी के आंशिक आशोधन में उक्त अधिसूचना के पैरा 1(घ) में उल्लिखित "अध्यक्ष" शब्द के स्थान पर "मेयर" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

इन्दु भूषण कर्ण, निदेशक

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय
(कम्पनी कार्य विभाग)
नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 जुलाई 2002

सं० ए-42011/21/2002-प्रशा० II—कम्पनी अधिनियम 1956(1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (II) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार श्री डी० के० गुप्ता, उप-निदेशक (निरीक्षण) को कम्पनी कार्य विभाग में कथित धारा 209 क के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत करती है ।

एन० सी० बेहेरा, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 25 जून, 2002

सं० एफ० 9-29/2000-यू०-3-- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956(1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा गांधी विद्या मन्दिर, उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, सरदार शहर, राजस्थान को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड, संयुक्त सचिव

सं० एफ० 9-3/95-यू०-3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट, केरल (जो पहले क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज कालीकट के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में, घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड़, संयुक्त सचिव

सं०एफ० 9-6/95-यू०-3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरतकल, कर्नाटक (जो पहले कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरतकल के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड, संयुक्त सचिव

सं०एफ० 9-8/95-यू०-3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा विश्वेस्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर (जो पहले विश्वेस्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड, संयुक्त सचिव

सं०एफ 9-10/99-यू-3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राऊरकेला (जो पहले क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज राऊरकेला के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप मे घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड, संयुक्त सचिव

सं० एफ 9-10/2002-यू-3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र, हरियाणा (जो पहले क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड, संयुक्त सचिव

सं० एफ० 9-16/2002-यू-3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश (जो पहले

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड़, समुक्त सचिव

स० एफ० 9-17/2000-यू-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (जो पहले मोतीलाल नेहरू इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड़, सयुक्त सचिव

सं० एफ० 9-51/2001-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल [जो पहले मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नालॉजी, (आर०ई० सी०) भोपाल के नाम से जाना जाता था] को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप मे घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड़, सयुक्त सचिव

स० एफ० 9-53/2001-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर, (जो पहले मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड, सयुक्त सचिव

स० एफ० 9-18/2002-यू०-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर, असम (जो पहले क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिलचर के नाम से जाना जाता था) को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम-विश्वविद्यालय के रूप मे घोषित करती है ।

सुरेन्द्र पाल गौड़, सयुक्त सचिव

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

(CENTRAL STATISTICAL ORGANISATION)

New Delhi-110001, the 29th July 2002

No. M-13011/2/2001-PCL—The Government of India hereby reconstitutes the Technical Advisory Committee on Statistics of Prices and Cost of Living with effect from the 29th July, 2002 with the following membership :—

1. Director General — Chairman
   Central Statistical Organisation
   Ministry of Statistics & Programme Implementation,
   Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg,
   New Delhi-110001.

2. Adviser — Member
   Labour, Employment & Manpower
   Planning Commission, Yojana Bhawan,
   New Delhi-110001.

3. Economic & Statistical Adviser — Member
   Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan,
   New Delhi-110001.

4. Adviser — Member
   Ministry of Finance,
   Department of Economic Affairs,
   North Block,
   New Delhi-110001.

5. Economic Adviser — Member
   Ministry of Industry,
   Udyog Bhawan,
   New Delhi-1100011.

6. Economic Adviser — Member
   Department of Consumer Affairs
   Ministry of Food, Consumer Affairs & Public Distribution,
   Shastri Bhawan, New Delhi-110001.

7. DG & Chief Executive Officer — Member
   National Sample Survey Organisation
   Ministry of Statistics & Programme Implementation,
   Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg,
   New Delhi-110001.

8. Additional Director General — Member
   Field Operations Division
   National Sample Survey Organisation
   East Block-6, R.K. Puram,
   New Delhi-110066.

9. Deputy Director General — Member
Survey Design & Research Division
National Sample Survey Organisation
164, GLT Road, Mahalanobis Bhawan,
Kolkata-700035.

10. Director General — Member
Labour Bureau
Ministry of Labour
SCO, 28-31, Sector-17A,
Chandigarh-160017.

11. Deputy Director General — Member
Incharge of PCL Unit
Central Statistical Organisation
East Block-10, R.K. Puram,
New Delhi-110066.

12. Chairman — Member
Commission for Agricultural Cost & Prices
Department of Agriculture & Co-operation
Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan,
New Delhi-110001.

13. Principal Advisor — Member
Reserve Bank of India
Department of Statistical Analysis and
Computer Services, C-8/9, Bandra-Kurla
Complex, P.B. No. 8128, Bandra (East)
Mumbai-400051.

14. Director — Member
Directorate of Economics & Statistics
Government of Andhra Pradesh
Khairatabad, Post Bag No. 5
Hyderabad-500 004.

15. Economic Adviser — Member
Government of Punjab
SCO, 35 & 36, Sector-17E
Chandigarh-160 017.

16 Director — Member
Bureau of Applied Economics & Statistics
Government of West Bengal
New Secretariat Building, 3rd Floor, Block-B,
1, Kiron Sankar Roy Road
Kolkata-700001.

17. Prof. Abhijit Sen, — Member
Professor of Economics
Jawahar Lal Nehru University
New Delhi-110067,

18. Prof. K. Sundram — Member
Delhi School of Economics,
Delhi-110 017.

19. Director, PCL Unit — Member-Secretary
Central Statistical Organisation
West Block-8, Wing-6,
R. K. Puram, New Delhi-66.

2. The representatives of the State Governments and the academic field will Serve on the Committee for a period of two years with effect from the 29th July, 2002.

3. The terms of reference of the reconstituted Committee are as under :

(i) Examination of proposals for the conduct of Family Budget Enquiries by Central Government, State Governments and Union Territory Administrations;

(ii) Examination of schemes prepared by the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations for the construction of Consumer Price and Comparative Costliness Indices and special problems connected therewith, including problems concerning all India and state level indices;

(iii) Improvement and standardization of the concepts, definitions, methods of price collection and compilation of Consumer Price and Comparative Costliness Indices;

(iv) Examination of Schemes prepared by the Central Government, State Governments and Union Territory Administrations for the construction of wholesale, retail, producers and other price indices and special problems connected therewith including problems concerning all India and state level indices ;

(v) Improvement and standardization of the concepts, definitions, methods of price collection and compilation of wholesale, retail, producers' and other price indices, including methods of weighting appropriate for each type of indices ;

(vi) Review of organizational arrangements and the machinery for price collection with a view to rationalizing and developing an integrated system of collection, compilation and dissemination of price statistics.

4. Secretarial assistance to the committee will be provided by the Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme Implementation.

5. The expenditure of the official members on TA/DA for attending the meetings of the Committee will be borne by the parent Ministries/Departments/Organisations to which they belong.

6. Sanction of the President is hereby accorded under SR 190(a) to the non-officials at Sl. No. 17 and 18 in para 1 above, being equated to the highest

Grade I officers of the Government of India for the purpose of payment of TA and they will be allowed DA/Conveyance Allowance at the rates admissible to non-officials attending routine/less important committees/Commissions meetings as contained in the Office Memorandum No. 19020/1/89 E. IV dated 23 June, 1986 of the Department of Expenditure, Ministry of Finance

7. The expenditure on account of payment of TA/DA to the non-officials at Sl. No. 17 and 18 of para 1 above, will be met out of the budget provision under the Plan Scheme "Development of CPI series, separately for urban and rural population at national level."

8. This issues with the concurrence of Financial Adviser (Statistics) vide Budget & Finance Section Dy. No. 577 dated the 19th July, 2002.

N.R. DASH
Director

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 2nd August 2002

No. U-13019/1/97-CHD—In Partial modification of this Ministry's Notification No. U-13019/1/97-CHD dated 22nd September 2000 the word "Chairman" appearing in para 1(d) of the said Notification is substituted by the word "Mayor".

I. B KARN, Director

MINISTRY OF FINANCE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 25th July 2002

No. A-42011/21/2002-Admn.II—In exercise of the Powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209-A of the Companies Act 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri D. K. Gupta, Deputy Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

N. C. BEHERA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 25th June 2002

No. F-9-29/2000-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the Institute of Advanced Studies in Education of Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr, Rajasthan as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, Jt. Secy.

The 26th June 2002

No. F. 9-3/95-U-3—in exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, herby declares the National Institute of Technology, Calicut, Kerala (formerly known as Regional Engineering College, Calicut) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, Joint Secy.

No. F. 9-6/95-U. 3 —In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the National Institute of Technology, Surathkal, Karnataka (formerly known as Karnataka Regional Engineering College, Surathkal) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, Joint Secy.

No. F. 9-8/95-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central

Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the Visvesvaraya National Institute of Technology, Nagpur (formerly known as Visvesvaraya Regional College of Engineering) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR,
Jt. Secy

No. F. 9-10/99-U. 3—In exercise of the powers conferred by Secton 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the National Institute of Technology, Rourkela (formerly known as Regional Engineering College, Rourkela) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR
Jt. Secy

No. F. 9-13/2002-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the National Institute of Technology, Kurukshetra, Haryana (formerly known as Regional Engineering College, Kurukshetra) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR Jt. Secy.

No. F. 9-16/2002-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the National Institute of Technology, Hamirpur, Himachal Pradesh (formerly known as Regional Engineering College Hamirpur) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, Jt. Secy.

No. F.9-17/2002-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the Motilal Nehru National Institute of Technology Allahabad(formerly known as Motilal Nehru Regional Engineering College, Allahabad) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, Jt. Secy.

No. F. 9-51/2001-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the Maulana Azad National Institute of Technology, Bhopal [formerly known as Maulana Azad College of Technology, (REC), Bhopal] as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, Joint Secy.

No. F. 9-53/2001-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the Malaviya National Institute of Technology, Jaipur (formerly known as Malaviya Regional Engineering

College, Jaipur) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, JOIN.T Secy.

The 28th June 2002

No. F. 9-18/2002-U. 3—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declares the National Institute of Technology, Silchar Assam (formerly known as Regional Engineering College, Silchar) as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect.

S. P. GAUR, JOINT. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2002
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 2002